

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत: राजस्थान हाईकोर्ट एवं SDO मुकाम बायतु

रोहिता कपूर बनाम गुरेन्द्र कुमार


किस्म मुकदमा नं: आ. के. व. 111, 128 ए. के. व. 90/2022 सन 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/03/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>राजेश कुमार</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 ए. के. व.</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>12/04/2022</u> को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>
12/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी-उपस्थित के नोटिस जारी रजिस्ट्रार की आज्ञा के अन्तर्गत जिनकी डिप्लेट रजिस्ट्रार प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे प्रार्थी पत्रावली विना गप। विप्रार्थी/उपस्थित तामील किये उपस्थित। न्यायालय सम्पन्न होना प्रार्थना लागू हुई मैट्रियल कोर्ट 5:45 PM पर लागू हुई विप्रार्थी/उपस्थित को उनकी कोर्ट से कोर्ट अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिखाजा विप्रार्थी/उपस्थित के विरुद्ध एडवोकेट कोर्टवादी मामले में लाई जाते हैं। प्रार्थी/उपस्थित पत्रावली दिनांक - 27/04/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>

22/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक जज
(SDO) बायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 469
प्रार्थी

दिनांक : 27/04/2022
विप्रार्थीगण

बनाम

1. गोगाकपुर पुत्र खेताराम,
जाति सोनी, निवासी बाटाडू,
पटवार मण्डल बाटाडू,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र हरखाराम वगैरा 03,
जाति जाट, निवासी जसोतोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल भाड़खा,
तहसील शिव (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 90 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - लूणाड़ा, पटवार हल्का - लूणाड़ा, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 1578 / 1576 रकबा 0.3236 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 470-474
प्रतिालाप:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लूणाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गोगाकपुर पुत्र खेताराम,
4. विप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र हरखाराम वगैरा 03,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

दिनांक : 27/04/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु